।। महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर।।

:: दिनांक 14.10.2024 को सम्पन्न हुई बंदी खुला शिविर समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण ::

राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के अंतर्गत गठित खुला बंदी शिविर समिति की बैठक **दिनांक 14.10.2024** को महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर की अध्यक्षता में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश की पालना में उनके कक्ष में आयोजित की गई, जिसमें निम्नांकित अधिकारीगण उपस्थित हुये :-

1. श्री रूपिन्दर सिंघ, सदस्य
   अति. महानिदेशक पुलिस,
   कारागार, राजस्थान, जयपुर।
2. श्री विक्रम सिंह, सदस्य
   महानिरीक्षक कारागार
   राजस्थान, जयपुर।
3. श्री एल.आर.मीणा, सदस्य
   शासन उप सचिव,
   गृह (ग्रुप-12) विभाग,
   राजस्थान, जयपुर।
4. श्री दिलबाग सिंह, सदस्य
   मुख्य परिवीक्षा अधिकारी,
   सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
   राजस्थान, जयपुर।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, जयपुर के निर्णय के क्रम में 06 बन्दी का खुला बंदी शिविर प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किये गये:-

बंदी का नाम मय पिता	निरूद्ध कारागृह	याचिका संख्या	निर्णय दिनांक	प्राप्ति दिनांक
अशोक उर्फ ठाकरिया पुत्र रतन लाल	उच्च सुरक्षा कारागार, अजमेर	154/2024	17.09.2024	20.09.2024
गौरव जेठी पुत्र सीताराम	के.का.कोटा	2088/2023	20.09.2024	30.09.2024
मान सिंह पुत्र प्यारेलाल	के.का.जयपुर	2313/2023	29.02.2024	11.03.2024
मदनलाल उर्फ बुद्धा पुत्र रामरतन	के.का.जयपुर	1760/2023	12.03.2024	15.04.2024
नरेन्द्र कुमार पुत्र रामकुमार	के.का. बीकानेर	1201/2024	24.09.2024	27.09.2024

समसू उर्फ जोहरी पुत्र चांव खां	के.का. अलवर	1203/2024	25.09.2024	10.10.2024

स्वीकृत प्रकरणों का विवरण :-

1. दण्डित बंदी अशोक उर्फ ठाकरिया पुत्र रतन लाल, जाति अहीर, निवासी नयनसुख मोहल्ला वार्ड नं. 15, पुलिस थाना बहरोड़, जिला कोटपूतली-बहरोड़, (उच्च सुरक्षा कारागार, अजमेर):-

बंदी को अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 02, जिला बहरोड़, जिला अलवर द्वारा प्रकरण संख्या 13/2015 (17/2015) अंतर्गत धारा 302/34 आई.पी.सी. 3/25 आर्म्स एक्ट में आदेश दिनांक 20.02.2022 को आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2023 तक 08 वर्ष 11 माह 19 दिवस सजा मय विचाराधीन अवधि एवं अर्जित परिहार के भुगत लिये जाने पर प्रकरण दिनांक 24.01.2024 को आयोजित बंदी खुला शिविर समिति की बैठक में रखा गया था।

तत्समय बंदी के मूल प्रकरण के अतिरिक्त 03 अन्य प्रकरणों में विचाराधीन होने एवं दिनांक 07.08.2022 को जेल दण्ड से दण्डित होने पर समिति द्वारा **दण्डित बंदी अशोक उर्फ ठाकरिया पुत्र रतन लाल** को बंदी खुला शिविर में नही भेजे जाने का निर्णय लिया गया है।

उक्त निर्णय के विरूद्ध बंदी द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय खण्डपीठ, जयपुर में एस.बी.क्रिमिनल रिट पिटिशन संख्या 154/2024 अशोक उर्फ ठाकरिया बनाम राजस्थान व अन्य दायर की गई। माननीय न्यायालय ने उक्त रिट में आदेश दिनांक 17.09.2024 से निर्णय पारित किया है कि "The petitioner is already on bail in both the matters and learned counsel for the petitioner undertakes that the petitioner will attend the Court on the dates fixed in the pending matters.Since there is no reasonable justification for not transferring the petitioner in Open Air Camp, the impugned order of the Open Air Camp Committee qua the petitioner is hereby quashed and it is directed that the petitioner be transferred to Open Air Camp asper rules. Accordingly, the writ petition stands allowed."

बंदी दिनांक 30.06.2024 तक 09 वर्ष 07 माह सजा मय विचाराधीन अवधि एवं अर्जित परिहार के भुगत ली है। अधीक्षक, उच्च सुरक्षा कारागार, अजमेर द्वारा बंदी के विरूद्ध वर्तमान में विचाराधीन न्यायिक प्रकरणों का विवरण निम्न से भिजवाया गया है:-

क्र. सं.	न्यायालय का नाम	एफ.आई.आर. नं.	अंतर्गत धारा	विशेष विवरण
1.	एसीजेएम नं. 01 कोटपूतली जयपुर	473/2010 पीएस कोटपूतली	420,467,468, 471,120बी, 379 आईपीसी	दिनांक 11.12.2023 को जमानत पर

2.	एडीजे नं. 01, बहरोड़, अलवर	509/2018 पीएस बहरोड़	302,120बी,109 आईपीसी एवं 5/25, 5/27 आर्म्स एक्ट	दिनांक 07.12.2023 को जमानत पर
3.	एसीजेएम नं. 01 बहरोड़, अलवर	95/2019 पीएस बहरोड़	384,386,120 बी आईपीसी	दिनांक 07.12.2023 को जमानत पर

अधीक्षक, उच्च सुरक्षा कारागार अजमेर ने यह भी अवगत कराया है कि बंदी को अधीक्षक, जिला कारागृह, टोंक के पत्रांक 1768-70 दिनांक 08.08.2022 द्वारा 01 माह के लिए केन्टीन, मुलाकात, वी.सी. व एस.टी.डी. सुविधा रोके जाने के जेल दण्ड से दण्डित किया गया था। बंदी का उनकी कारागृह पर स्थानान्तरण के पश्चात् वर्तमान में आचरण संतोषप्रद रहा है।

अत: उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय खण्डपीठ, जयपुर के आदेश की पालना में समिति द्वारा सर्वसम्मति से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के तहत **दण्डित बंदी अशोक उर्फ ठाकरिया पुत्र रतन लाल** को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

2. **दण्डित बंदी गौरव जेठी पुत्र सीताराम, जाति जेठी, निवासी छोटे अखाड़े के पास नान्ता, पुलिस थाना कुन्हाड़ी, जिला कोटा (के.का.कोटा):-**

बंदी को अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 04, कोटा द्वारा प्रकरण संख्या 84/2015 अंतर्गत धारा 302,201,120बी आई.पी.सी. में आदेश दिनांक 29.05.2023 को आजीवन कारावास (मृत्यु पर्यन्त) से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा दिनांक 30.06.2023 तक 07 वर्ष 11 माह 07 दिवस सजा मय विचाराधीन अवधि एवं अर्जित परिहार के भुगत लिये जाने पर प्रकरण दिनांक 31.07.2023 को आयोजित बंदी खुला शिविर समिति की बैठक में रखा गया था।

तत्समय बंदी को धारा 302 में आजीवन कारावास (मृत्यु पर्यन्त) से दण्डित होने पर समिति द्वारा **दण्डित बंदी गौरव जेठी पुत्र सीताराम** को बंदी खुला शिविर में नही भेजे जाने का निर्णय लिया गया है।

उक्त निर्णय के विरूद्ध बंदी द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय खण्डपीठ, जयपुर में एस.बी.क्रिमिनल रिट पिटिशन संख्या 2088/2023 गौरव बनाम राजस्थान व अन्य दायर की गई। माननीय न्यायालय ने उक्त रिट में आदेश दिनांक 20.09.2024 से निर्णय पारित किया है कि "Since there is no reasonable justification for not transferringthe petitioner in Open Air Camp, Kota, the impugned order of theOpen Air Camp Committee qua the petitioner is hereby quashedand it is directed that the petitioner be transferred to Open AirCamp, Kota as per rules.Accordingly, the writ petition stands allowed.Registrar(Judicial) is directed to

send a copy of this order tothe Superintendent, Central Jail, Kota as also to theSuperintendent, Open Air Camp, Kota for compliance."

बंदी दिनांक 30.06.2024 तक 09 वर्ष 02 माह 01 दिवस सजा मय विचाराधीन अवधि एवं अर्जित परिहार के भुगत ली है।

अत: उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय खण्डपीठ, जयपुर के आदेश की पालना में समिति द्वारा सर्वसम्मति से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के तहत **दण्डित बंदी गौरव जेठी पुत्र सीताराम** को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

2. **दण्डित बंदी मान सिंह पुत्र प्यारेलाल, जाति मीणा, निवासी निहालपुरा, पुलिस थाना बांदीकुई, जिला दौसा (के.का.जयपुर):-**

बंदी को अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 08, जयपुर महानगर द्वारा प्रकरण संख्या 03/2019 अंतर्गत धारा 302/34बी आई.पी.सी. में आदेश दिनांक 30.09.2019 को आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा सजा का 1/3 भाग पूर्ण नही करने पर इसका नाम दिनांक 31.12.2023 की वरीयता सूची में सम्मिलित नही किया गया।

बंदी द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय खण्डपीठ, जयपुर में एस.बी. क्रिमिनल रिट पिटिशन संख्या 2313/2023 मानसिंह बनाम राजस्थान व अन्य दायर की गई। माननीय न्यायालय ने उक्त रिट में आदेश दिनांक 20.02.2024 से निर्णय पारित किया है कि " In such view of matter, the instant petition stands disposedof with direction to the concerned authority i.e. respondents No.2& 3, to decide the application dated 29th September, 2023 filed bypetitioner within a period of three months in accordance with law."

समिति के ध्यान में लाया गया कि दण्डित बंदियों को कारागृह से बंदी खुला शिविर में निकाले जाने की वरीयता सूची वर्ष में 02 बार (30 जून व 31 दिसम्बर की स्थिति में) तैयार की जाती है।

दिनांक 30.06.2024 की स्थिति में तैयार की गई वरीयता सूची में बंदी द्वारा सजा का 1/3 भाग अर्थात् 07 वर्ष 02 माह 26 दिवस सजा मय विचाराधीन अवधि एवं अर्जित परिहार के भुगत ली है। अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, जयपुर द्वारा भी बंदी का कारागृह में आचरण संतोषप्रद एवं बंदी के राजस्थान खुला शिविर नियम, 1972 के अनुसार पात्र होने पर इसे खुला बंदी शिविर में निकाले जाने की प्रवंदना की है।

अत: उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय खण्डपीठ, जयपुर के आदेश की पालना में समिति द्वारा सर्वसम्मति से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के तहत **दण्डित बंदी मान सिंह पुत्र प्यारेलाल** को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

4. **दण्डित बंदी मदनलाल उर्फ बुद्धा पुत्र रामरतन, जाति मीणा, निवासी लालावास, पुलिस थाना आमेर, जिला जयपुर (के.का.जयपुर):-**

बंदी को अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 18, जयपुर महानगर द्वारा प्रकरण संख्या 84/2012 अंतर्गत धारा 302,307,341,324 आई.पी.सी. में आदेश दिनांक 25.01.2014 (प्रभावी दिनांक 02.12.2019) को आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा सजा का 1/3 भाग पूर्ण नही करने पर इसका नाम दिनांक 31.12.2023 की वरीयता सूची में सम्मिलित नही किया गया।

बंदी द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय खण्डपीठ, जयपुर में एस.बी. क्रिमिनल रिट पिटिशन संख्या 1760/2023 मदनलाल बनाम राजस्थान व अन्य दायर की गई। माननीय न्यायालय ने उक्त रिट में आदेश दिनांक 20.02.2024 से निर्णय पारित किया है कि "In view of the limited prayer, let non-petitioner No.2- PrisonersOpen Air Camp Advisory Committee and concerned Authorities mayconsider the application of petitioner and decide the same inaccordance with law within a period of three months on receipt ofcopy of this order.3.In such view of matter, the instant petition stands disposed of."

समिति के ध्यान में लाया गया कि दण्डित बंदियों को कारागृह से बंदी खुला शिविर में निकाले जाने की वरीयता सूची वर्ष में 02 बार (30 जून व 31 दिसम्बर की स्थिति में) तैयार की जाती है।

दिनांक 30.06.2024 की स्थिति में तैयार की गई वरीयता सूची में बंदी द्वारा सजा का 1/3 भाग अर्थात् 07 वर्ष 02 माह 24 दिवस सजा मय विचाराधीन अवधि एवं अर्जित परिहार के भुगत ली है। अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, जयपुर द्वारा भी बंदी का कारागृह में आचरण संतोषप्रद एवं बंदी खुला शिविर नियम, 1972 के अनुसार पात्र होने पर बंदी खुला शिविर में निकाले जाने की प्रवंदना की है।

अत: उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय खण्डपीठ, जयपुर के आदेश की पालना में समिति द्वारा सर्वसम्मति से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के तहत **दण्डित बंदी मदनलाल उर्फ बुद्धा पुत्र रामरतन** को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

अस्वीकृत प्रकरण का विवरण :-

1. **दण्डित बंदी नरेन्द्र कुमार पुत्र रामकुमार, जाति जाट, निवासी वार्ड नं. 06 पुरानी आबादी, पुलिस थाना पुरानी आबादी, जिला श्रीगंगानगर (केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर)**

बंदी को अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 02, जिला सीकर द्वारा प्रकरण संख्या 70/2015 अंतर्गत धारा 302,201 आई.पी.सी. में आदेश दिनांक 24.09.2016 को आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा दिनांक 30.06.2023 तक 09 वर्ष 09 माह 21 दिवस सजा मय विचाराधीन अवधि एवं अर्जित परिहार के भुगत लिये जाने पर प्रकरण दिनांक 31.07.2023 को आयोजित बंदी खुला शिविर समिति की बैठक में रखा गया था।

तत्समय बंदी के 02 से अधिक 07 प्रकरणों में दण्डित होने से समिति द्वारा **दण्डित बंदी नरेन्द्र कुमार पुत्र रामकुमार** को बंदी खुला शिविर में नही भेजे जाने का निर्णय लिया गया है।

उक्त निर्णय के विरूद्ध बंदी द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय खण्डपीठ, जयपुर में एस.बी.क्रिमिनल रिट पिटिशन संख्या 1201/2024 नरेन्द्र कुमार बनाम राजस्थान व अन्य दायर की गई। माननीय न्यायालय ने उक्त रिट में आदेश दिनांक 24.09.2024 से निर्णय पारित किया है कि " In view of the limited prayer, the petition is disposed of witha direction that the application filed by the petitioner be decidedwithin one month from the date of receipt of a certified copy ofthis order, in accordance with law."

बंदी दिनांक 30.06.2024 तक 11 वर्ष 09 दिवस सजा मय विचाराधीन अवधि एवं अर्जित परिहार के भुगत ली है। अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर ने बंदी के 07 प्रकरणों में दण्डित होने व पंजाब राज्य में धारा 302,201,411 आई.पी.सी. में आजीवन कारावास की सजा से दण्डित होने पर राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के उपनियम 3(च) व 04 (क) के तहत साधारणत: अपात्र होने पर अप्रवंदित किया है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय खण्डपीठ, जयपुर के आदेश की पालना में समिति द्वारा बंदी के प्रकरण का पुन: अवलोकन करने पर पाया कि बंदी मूल प्रकरण के अतिरिक्त 07 अन्य प्रकरणों में और दण्डित है। जो राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के उपनियम 3(च) व 04 (क) के तहत बंदी खुला शिविर में भेजे जाने की पात्रता नहीं रखता है।

अत: उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से बंदी **नरेन्द्र कुमार पुत्र रामकुमार** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

2. दण्डित बंदी समसू उर्फ जोहरी पुत्र चांव खां, जाति मेव, निवासी मूनपुर करमला, पुलिस थाना नौगांवा जिला अलवर (केन्द्रीय कारागृह, अलवर):-

बंदी को अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 02, अलवर द्वारा प्रकरण संख्या 33/2017 अंतर्गत धारा 302,120बी,498ए/34,201/34,506/34 आई. पी.सी. में आदेश दिनांक 22.04.2022 को आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा सजा का 1/3 भाग पूर्ण नही करने पर इसका नाम दिनांक 31.12.2023 की वरीयता सूची में सम्मिलित नही किया गया।

बंदी द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय खण्डपीठ, जयपुर में एस.बी. क्रिमिनल रिट पिटिशन संख्या 1203/2024 समसू उर्फ जोहरी बनाम राजस्थान व अन्य दायर की गई। माननीय न्यायालय ने उक्त रिट में आदेश दिनांक 25.09. 2024 से निर्णय पारित किया है कि " In view of limited prayer, the petition is disposed of with a direction to the respondents to decide the application filed by the petitioner, if pending with them, expeditiously, in accordance with law."

समिति के ध्यान में लाया गया कि दण्डित बंदियों को कारागृह से बंदी खुला शिविर में निकाले जाने की वरीयता सूची वर्ष में 02 बार (30 जून व 31 दिसम्बर की स्थिति में) तैयार की जाती है।

दिनांक 30.06.2024 की स्थिति में तैयार की गई वरीयता सूची में बंदी द्वारा सजा का 1/3 भाग अर्थात् 07 वर्ष 03 माह 17 दिवस सजा मय विचाराधीन अवधि एवं अर्जित परिहार के भुगत ली है। अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, अलवर ने **दण्डित बंदी समसू उर्फ जोहरी पुत्र चांव खां** के दिनांक 30.06.2024 को 68 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर इसे राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के उपनियम 3(ज) के तहत साधारणत: अपात्र होने पर बंदी खुला शिविर में निकाले जाने हेतु अप्रवंदित किया है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय खण्डपीठ, जयपुर के आदेश की पालना में समिति द्वारा बंदी के प्रकरण का अवलोकन करने पर पाया कि बंदी की 68 वर्ष आयु होने से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के उपनियम 3(ज) के तहत बंदी खुला शिविर में भेजे जाने की पात्रता नहीं रखता है।

अत: उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **दण्डित बंदी समसू उर्फ जोहरी पुत्र चांव खां** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

सदस्य	सदस्य	सदस्य	सदस्य	अध्यक्ष
मुख्य परिवीक्षा अधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।	शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप-12) विभाग, राजस्थान, जयपुर।	महानिरीक्षक कारागार राजस्थान जयपुर।	अति.महानिदेशक कारागार राजस्थान जयपुर।	महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान जयपुर।